



## प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 07.08.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

- **अन्तर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक अदद ट्रक वाहन से तस्करी कर ले जायी जा रही 855 पेटी ब्राण्ड बन्टी बबली देशी शराब (प्रत्येक पेटी में 45 शीशी व प्रत्येक शीशी 200ML की कुल 7500 लीटर से अधिक कीमत लगभग ₹0 17 लाख से अधिक) के साथ शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार-**

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब विक्रय / निष्कर्षण / परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.08.2019 को मुखबीर सूचना पर कसया पुलिस टीम द्वारा बबलू ढाबा NH .28 हाइवे के पास से ट्रक नं0 HR 46 C 6872 से 855 पेटी ब्राण्ड बन्टी बबली देशी शराब (प्रत्येक पेटी में 45 शीशी व प्रत्येक शीशी 200ML की कुल 7500 लीटर से अधिक जिसकी कीमत लगभग रुपये 17 लाख से अधिक के साथ एक शातिर शराब तस्कर 1.परविन्दर मेहता पुत्र मुलचन्द मेहता निवासी बाबा कालोनी सोनीपत इण्डस्ट्रियल एरिया बाबा फैक्ट्री थाना सिटी सोनीपत जिला सोनीपत हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 447/19 धारा 419,420,467,468 भादवि व 103,104 ट्रेडमार्क एक्ट व 54/64 कापी राईट एक्ट व 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत पर आवश्यक बैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर डा0 राजीव नारायण मिश्र द्वारा बताया गया कि जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री /निष्कर्षण / परिवहन के विरुद्ध यह अभियान अनवरत जारी रहेगा।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. परविन्दर मेहता पुत्र मुलचन्द मेहता निवासी बाबा कालोनी सोनीपत इण्डस्ट्रियल एरिया बाबा फैक्ट्री थाना सिटी सोनीपत जिला सोनीपत हरियाणा।

### बरामदगी का विवरण:-

1. 855 पेटी ब्राण्ड बन्टी बबली देशी शराब (प्रत्येक पेटी में 45 शीशी व प्रत्येक शीशी 200ML की कुल 7500 लीटर से अधिक जिसकी कीमत लगभग रुपये 17 लाख से अधिक की)
2. एक अदद ट्रक नं0 HR 46 C 6872 वाहन की अनुमानित कीमत 20 लाख रूपया से अधिक।

### गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1- SHO ज्ञानेन्द्र कुमार राय थाना कसया जनपद कुशीनगर।
- 2- उ0नि0 रामचन्द्र सिंह यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर।
- 3- उ0नि0 उमेश कुमार यादव थाना कसया जिला कुशीनगर।
- 4- हे0का0 उदयभान मिश्रा थाना कसया जिला कुशीनगर।
- 5- का0 मनोज यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर।
- 6- का0 आरिफ अंसारी थाना कसया जनपद कुशीनगर।
- 7- का0 विजय यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर।

### ● थाना कसया -

थाना कसया पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजेश पुत्र रामनगीना साकिन सपहा थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 40 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर मु0अ0सं0 446/19 धारा 60 आबकारी के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल- 01 )**

### थाना कसया -

थाना कसया पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त जमशेद पुत्र बिकाऊ नि0 सेमराधुसी थाना कसया जनपद कुशीनगर को मु0अ0सं0 416/19 धारा 363,366 भादवि के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-**

### थाना जटहांबाजार -

थाना जटहांबाजार पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त अफरोज आलम पुत्र इब्राहिम साकिन सोनवल थाना जटहांबाजार कुशीनगर जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद चाकु बरामद कर मु0अ0सं0 95/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### थाना हाटा -

थाना हाटा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त मुकेश पुत्र शम्भु साकिन वार्ड न0 10 कस्बा हाटा थाना हाटा कुशीनगर जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद चाकु बरामद कर मु0अ0सं0 321/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### थाना अहिरौली बाजार -

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त आरिफ पुत्र इजराइल साकिन बालेश्वर चौराहा थाना हाटा कुशीनगर जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद चाकु बरामद कर मु0अ0सं0 204/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-**

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 16 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➤ **कार्यवाही एक नजर में =**

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही कुल-40 वाहन से शमन शुल्क- रु0-12100 ।
2. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी- (कुल-01 )
3. आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही मु0-03, अभि0-03, बरामदगी- 03 अदद चाकु बरामद।
4. आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-02, अभि0-02, बरामदगी- 855 पेटी ब्राण्ड बन्टी बबली देशी शराब (प्रत्येक पेटी मे 45 शीशी व प्रत्येक शीशी 200ML की कुल 7500 लीटर से अधिक जिसकी कीमत लगभग रुपये 17 लाख से अधिक की), एक अदद ट्रक नं0 HR 46 C 6872 वाहन की अनुमानित कीमत 20 लाख रूपया से अधिक 40 लीटर कच्ची अवैध शराब।

मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर।